

मध्यप्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
वल्लभ भवन—मंत्रालय, भोपाल

क./F 9-10/2016/नियम/चार  
प्रति,

भोपाल, दिनांक : 10 अक्टूबर, 2016

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन ।

विषय :—सेवानिवृत्त शासकीय सेवक/मृत शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरणों का सामयिक निराकरण ।

संदर्भ :—म.प्र.शासन वित्त विभाग का पत्र क्रमांक एफ 2015/नियम/नियम/चार भोपाल दिनांक 29.06.2015.

—00—


म.प्र.सिविल सेवायें (पेंशन) नियम 1976 के प्रावधानों के अनुसार शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति पूर्व पेंशन प्रकरणों के सामयिक निराकरण की जिम्मेदारी संबंधित विभाग/कार्यालय की हैं। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से निर्देश भी प्रसारित किये गये हैं।

2/ उपर्युक्त के उपरांत भी यह देखने में आया है कि शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति उपरांत भी पेंशन प्रकरणों का निराकरण नहीं हो रहा है। आपके विभाग से संबंधित ..... पेंशन प्रकरण अभी भी विभागीय अधीनस्थ कार्यालयों में लंबित हैं (सूची संलग्न)।

3/ उपर्युक्त लंबित पेंशन प्रकरणों की समीक्षा करने पर कुल लंबित पेंशन प्रकरणों में से 50% अन्य कारणों से, 25% प्रतिशत न्यायालयीन प्रकरण, 11% विभागीय जांच के कारण लंबित हैं। इसके अलावा 6% शासन स्तर पर तथा 2% लोकायुक्त संबंधी प्रकरण लंबित हैं। इस प्रकार कुल 94% प्रकरण विभिन्न कारणों से विभाग स्तर पर लंबित हैं।

अनुरोध है कि लंबित पेंशन प्रकरणों की नियमित समीक्षा विभागाध्यक्ष स्तर पर की जावें, ताकि प्रत्येक शासकीय सेवक/मृत शासकीय सेवक को सामयिक रूप से पेंशन/परिवार पेंशन का भुगतान सुनिश्चित हो सके।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(अनिरुद्ध मुखर्जी)  
सचिव


मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग

//2//

पृ. क. / F 9-10 / 2016 / नियम / चार  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक : 15 अक्टूबर, 2016

1. समस्त विभागाध्यक्ष म.प्र.शासन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. समस्त संभागीय आयुक्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. समस्त कलेक्टर म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

  
उप सचिव

म.प्र.शासन, वित्त विभाग

**DEPARTMENT WISE PENDING LIST OF PENSION CASES**  
**WHERE MORE THAN 50 PENSION CASES PENDING ON 31-08-2016**

S NO	NAME OF DEPARTMENT	NO OF PENDING PENSION CASES
1	SCHOOL EDUCATION	463
2	HOME	445
3	PUBLIC HEALTH FAMILY WELFARE	286
4	WATER RESOURCES DEPARTMENT	276
5	FOREST	234
6	REVENUE	214
7	TRIBAL WELFARE	182
8	AGRICULTURE	117
9	PUBLIC WORKS	112
10	PUBLIC HEALTH ENGINEERING	110
11	HIGHER EDUCATION	66
12	MEDICAL EDUCATION	63
13	ANIMAL HUSBANDARY	53
14	PANCHAYAT AND RURAL DEVELOPMENT	52